न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 35/2014 सन् 2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लक्ष्मीनारायण पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री नरपत सिंह एडवोकेट उपस्थित।
2. अप्रार्थी सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनांक 15–05–2017

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:– प्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की अन्य सह खातेदारान के साथ साथ संयुक्त खातेदारी जमीन कब्जा सुद जमीन खसरा नम्बर 105 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. धेड़ व खसरा नम्बर 106 रकबा 50 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरा 2 कुल रकबा 50 बीघा 04 बिस्वा आयी हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा सुद जमीन है जो पहले प्रार्थी के पिता भागीरथ जी की अन्य सह खातेदारान के साथ साथ संयुक्त खातेदारी कब्जा सुद जमीन थी, तथा भागीरथजी के देहान्त पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम मुन्ना लाल दर्ज कर दिया जो जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में प्रार्थी का नाम मुन्ना लाल दर्ज है लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2044 तैयार करते समय प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं रही। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण है तथा प्रार्थी के नाम से मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड बना हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है लेकिन प्रार्थी को घर की बोलचाल की भाषा में मुन्ना लाल नाम से पुकारा जाता था इसलिए स्व. भागीरथ जी के देहान्त पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम मुन्ना लाल इन्द्राज कर दिया तथा जमाबन्दी तैयार करते समय भी अन्य सह खातेदारान के साथ साथ प्रार्थी का नाम मुन्ना लाल दर्ज है लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2044 तैयार करते समय प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में दर्ज करने से भी रह गया जो राजस्व कर्मचारियों की सैवन से त्रुटिवश दर्ज होने से रह गया। अब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपने हक हिस्सा की भूमि पर कॉपरेटिव ऋण लेना चाहा जिस पर हल्का पटवारी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम ही दर्ज नहीं है इस पर प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 व जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2044 तक की नकलें प्राप्त की जिसमें प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2044 तक की तैयार करते समय सैवन से इन्द्राज करने से रह गया जिसको प्रार्थी राजस्व रैकार्ड दुरूस्त करवाकर इन्द्राज करवाने का हकदार है तथा प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेजात में लक्ष्मी नारायण होने से मुन्ना लाल के स्थान पर लक्ष्मीनारायण इन्द्राज करवाने का हकदार है। इस प्रकार प्रार्थी अन्य भाईयों के साथ–साथ अपना नाम दुरूस्त कर लक्ष्मीनारायण दर्ज करवाने का अधिकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार बिलाड़ा ने उक्त दुरूस्ती इस न्यायालय से करवाने को कहा इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि मामला रैकार्ड दुरूस्ती का है तथा राजस्व रैकार्ड की नकले दिनांक 16.09.2013 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि राजस्व रैकार्ड में प्रार्थी का नाम ही दर्ज नहीं है तथा पहले जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मुन्ना लाल दर्ज था तथा जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2044 तक इन्द्राज करते समय प्रार्थी का नाम ही दर्ज नहीं हुआ जो सैवन से त्रुटिवश

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दर्ज होने से रह गया जो प्रार्थी दुरूस्त करवाने का हकदार है। इसलिये प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पेश है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपने अन्य भाईयों के साथ–साथ लक्ष्मीनारायपुत्र भागीरथ राजस्व रैकार्ड दुरूस्त कर इन्द्राज करवाने का आदेश करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार बिलाड़ा उपस्थित आये एवं उन्होंने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि ग्राम जमावन्दी चौसाला 2036 से 2039 में खसरा नम्बर रकबा 0.04 व खसरा नम्बर 106 रकबा 50.04 में हीरा लाल, ओमप्रकाश, नेमीचन्द, नरसिंह, मुन्ना ला, जगदीश, श्रवणकुमार पि0 भागीरथ हि. 1/6 दर्ज है जबकि ग्राम हुणगांव कलां की जमाबन्दी में सम्वत् 2040 से 2044 तेहरीर करते वक्त मुन्ना लाल पि. भागीरथ का नाम भूल से छूट गया है। प्रार्थी का नाम शुद्वी हेतु मुन्ना लाल के स्थान पर लक्ष्मीनारायण है जो वतौर सबूत आधार कार्ड पर्ची, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड व स्कूल टी.सी. पेश किये है। तहसीलदार बिलाड़ा ने अपने जवाब के अन्त में लिखा कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में नाम व मुन्ना लाल के स्थान पर लक्ष्मीनारायण किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के जवाब का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। जिसमें प्रार्थी का नाम अन्य कृषि भूमि में पूर्व में दुरूस्त कर दिया गया है केवल एक खाते एवं दो खसरों में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती से रह गया है जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की वर्तमान जमावन्दी सम्वत् 2065 से 2068 तक के खाता संख्या 104 में उल्लेखित खातेदार पार्वती देवी पत्नी हीरा लाल, अनिल पि. हीरा लाल, रेखा पुत्री हीरा लाल, दीपक पि. ओमप्रकाश, सुलोचना पत्नी ओमप्रकाश, नरसिंह, जगदीश, श्रवण कुमार पि. भागीरथ शेष इन्द्राजात बदस्तूर रखते हुए खातेदार पार्वती देवी पत्नी हीरा लाल, अनिल पि. हीरा लाल, रेखा पुत्री हीरा लाल, दीपक पि. ओमप्रकाश, सुलोचना पत्नी ओमप्रकाश, नरसिंह, **लक्ष्मीनारायण**,जगदीश, श्रवण कुमार पि. भागीरथ शेष सभी इन्द्राजात बदस्तूर रखते हुए दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। यानि भागीरथ के मृत पुत्र हीरा लाल व ओम प्रकाश के वारिसानों एवं पुत्र नरसिंह, जगदीश, श्रवण कुमार के साथ प्रार्थी का नाम जरिये रिकार्ड दुरूस्ती के इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त रिकार्ड दुरूस्ती के अनुसार राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण के अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावे। तहसीलदार बिलाड़ा को इस निर्णय की प्रति के साथ तेहरीर पालना हेतु भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तामिल दफ्तर दाखिल हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15–05–2017 को मेरे निर्देशन में कम्पयूटर से टंकित करवाया जाकर सरै इजलाश सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा